राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र ढोला

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 1008/2015
दायरा तिथि 08.06.2015
आदेश तिथि 26.05.2017

प्रार्थीः– **बनामः**

अचलसिंह पुत्र श्यामसिंहजी
जाति पुरोहित, निवासी ढोला शासन
तहसील सुमेरपुर

अप्रार्थीगणः–

1–चतराराम पुत्र हीराजी
2–पेमाराम पुत्र बाबूजी
3–टीकमाराम पुत्र बाबूजी
4–रताराम पुत्र ओटाजी
तमाम जातिगण मैणा
निवासीगण ढोला शासन
तहसील सुमेरपुर
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट,1955

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 26.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र ढोला में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 एवं अप्रार्थी सं.05 के जवाब में अभिव्यक्त कथनों/तथ्यों एवं साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः संबंधित जमाबंदिया (2) संवत् 2069–72, नजरी नक्शा इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र कतिपय प्रावधान के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा ढोला शासन, पटवार हल्का ढोला, तहसील सुमेरपुर में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 612 रकबा 0.92 हेक्टर आयी हुई स्थित है जिसके दक्षिण–पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 रकबा 0.65 हेक्टर आयी हुई स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 612 में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु ग्राम ढोला–बडगांवडा जाने वाले रास्ते से होते हुए अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 में से दक्षिणी–पूर्वी माठ (खसरा नं. 665 के लगते हुए) के सहारे–2 कदीमी रास्ता है, जो यह भूमि खसरा नं. 613 पूर्व में रतनसिंह, रामसिंह, प्रतापसिंह पिसरान

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

सरदारसिंहजी के नाम से दर्ज रही है, के समय से उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व अपने पूर्वज पीढियों से करते आ रहे है, इस कदीमी रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है, परन्तु खसरा नं. 613 के खातेदार अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 ने जानबूझ कर वर्तमान में प्रार्थी के आने जाने में व्यवधान व रूकावट पैदा कर रहे है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना स्वीकार फरमाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 612 में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 613 में से दक्षिणी–पूर्वी माठ (खसरा नं. 665 के लगते हुए) के सहारे–2 प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसको सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया हुआ है, के अनुसार 6 मीटर चौडाई में नियमानुसार राशि अदायगी पर दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 ने अपने जवाब में प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में अभिव्यक्त कथनों को नकारते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 612 में आने–जाने हेतु ग्राम ढोला से बडगांवडा जाने वाले रास्ते से होते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 613 के दक्षिणी–पूर्वी माठ (खसरा नं. 665 के लगते हुए) के सहारे–2 कोई कदीमी रास्ता नहीं है, अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि खसरा नं. 612 पूर्व खातेदार रतनसिंह वगैरा से सन् 2012 में खरीद की थी तब से उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही एकमात्र कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रस्तावित रास्ता को नजरी नक्शा में गलत दर्शाया है, जबकि उक्त स्थान पर सन् 2013 से अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान बने हुए है जहां पर अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नं. 604 व 605 की माठ के सहारे–2 कदीमी रूप से वर्तमान में रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी पूर्व से करता आ रहा है। खसरा नं. 613 की भूमि पूर्व खातेदार रतनसिंह पुरोहित वगैरा से भूमि अप्रार्थीगण द्वारा खरीद किए जाने से प्रार्थी, अप्रार्थीगण से नाराज व रंजिश रखता है व कहता है कि तुम नीच जाति वालों ने हमारी समाज के लोगों की जमीन कैसे खरीद ली, तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगा। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से प्रार्थी जानबूझ कर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य दर्शाए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं.613 में वर्तमान प्रस्तावित रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 612 में आने–जाने हेतु खसरा नं. 604 व 605 की माठ के सहारे–2 कदीमी व वर्तमान में रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी पूर्व से अर्थात कदीमी से करता आ रहा है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, इसे मय खर्चा खारिज फरमावे।

इसके अलावा प्रश्नगत् मामले में पटवारी ढोला व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला द्वारा बरोज आज प्रस्तुत की गई रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट से जाहिर है कि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम ढोला के खसरा नं. 612 रकबा 0.92 हेक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है और खसरा नं. 613 रकबा 0.65 हेक्टर भूमि

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है, परन्तु प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 613 में प्रस्तावित रास्ता भूमि चाही गई है, वहां पर अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान बने हुए है व प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में बरंग लाल से प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है वह मौके पर बंद है रास्ता देने की स्थिति में रहवासीय मकान तोडने पडेंगे जो संभव नहीं है, जबकि प्रार्थी अपने भाई–बंधु की भूमि खसरा नं. 604 व 605 की माठ से होकर आना जाना करता है। अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 के जवाब में वर्णित कथनों व पटवारी ढोला व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला की तथाकथित जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में अप्रार्थी सं.05 तहसीलदार सुमेरपुर के जवाब में उल्लेखित तथ्यों से इसकी बखुबी पुष्टि होती है और इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों पर मनन व विचारण करने के बाद प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं.612 में कृषि कार्य व सुखाधिकारी के तहत आने–जाने हेतु ग्राम ढोला–बडगांवडा जाने वाले रास्ते से होते हुए अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 में से दक्षिणी–पूर्वी माठ (खसरा नं. 665 के लगते हुए) के सहारे–2 प्रस्तावित कदीमी रास्ता 6 मीटर की चौडाई में चाहा गया है जो मौके पर बंद है व अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान बने हुए है जहां पर अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते है, को कतिपय प्रावधान के तहत प्रश्नगत् रास्ता भूमि प्रार्थी को उपलब्ध कराना जाना कानूनन संभव नहीं है, जबकि प्रार्थी अपने भाई–बंधु की भूमि खसरा नं. 604 व 605 की माठ के सहारे–2 कदीमी व वर्तमान में रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी पूर्व से अर्थात कदीमी से करता आ रहा है, ऐसी मौजूदा व विधिक स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए हमारे विधिक विचारो में प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत सरहद मौजा ढोला शासन, पटवार हल्का ढोला, तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं.612 में कृषि कार्य व सुखाधिकारी के तहत आने–जाने हेतु ग्राम ढोला–बडगांवडा जाने वाले रास्ते से होते हुए अप्रार्थी सं.01 लगाय 04 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 में से दक्षिणी–पूर्वी माठ (खसरा नं. 665 के लगते हुए) के सहारे–2 प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर की चौडाई में चाहा गया है, के बारे में प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–ढोला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner